

1370 नं. गता

2021

रिपोर्ट पटवारी संख्या/अः 50एल0आर0

पत्र के सम्बन्ध में जारी की गई। इसके अनुसार

कर राम

प्रार्थना पत्र (2075-78) द्वारा 2075-78

ख. 351 के राकेश कुमार (पु. रामकुमार) के आधार पर 16/11/21

राकेश कुमार (पु. रामकुमार) के आधार पर 16/11/21

कार्यालय तहसीलदार, उदयपुरवाटी/गुढागौडजी

क्रमांक : राजस्व/2020/

दिनांक :-

16/11/21

मूल ही उपखण्ड अधिकारी महोदय उदयपुरवाटी को प्रेषित कर निवेदन है कि आवेदन पत्र में वर्धितानुसार आवेदक का नाम दुरुस्त किया जाना उचित है/सही नहीं है। आवेदक का नाम दुरुस्त किये जाने की अभिशप्ता की जाती है/की जाती है।

दुरुस्त किया जाना उचित है

16/11/2021

तहसीलदार उदयपुरवाटी/गुढागौडजी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन महायक कलक्टर उदयपुरवाटी जिला शुभ (राज.)

- आदेश :-

दिनांक :- 16/11/21

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्षों एवं तहसीलदार (मू0अ0) उदयपुरवाटी/गुढागौडजी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अनुसरण में निम्नांकित दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (मू0अ0) उदयपुरवाटी/गुढागौडजी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.स.	ग्राम	जमाबन्दी संख्या	खता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
1	करावली	2075-78	351	राकेश कुमार पु. रामकुमार	राकेश कुमार पु. रामकुमार

नोट :- शेष प्रविष्टियां यथावत रहेंगी तथा यदि उक्त भूमि रहन ही तो रहन मुक्त होने के उपरान्त निर्णय की पालना की जावे।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

दिनांक :- 16/11/21

क्रमांक :- राजस्व/2020/1114-15

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार (मू0अ0) उदयपुरवाटी/गुढागौडजी को वारं वारं पालनार्थ।
2. प्रार्थी/प्रार्थीया को सूचनाार्थ।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

